बिहार सरकार

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण
(योजना एवं विकास विभाग)

आ०सं०– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 /पटना, दिनांक– 11 फरवरी, 2019

आदेश

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण आदेश संख्या–45–46 दिनांक 04.02.2019 एवं 50–52 दिनांक 07.02.2019 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित राशि निम्न विवरणी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, बुद्धा कॉलानी, पटना द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवंटित किया जाता हैः–

(राशि रू0 लाख में)

क्रम	कार्यप्रमंडल का नाम	सामान्य मद	SCP की राशि	ST की राशि	कुल आवंटित राशि	बैंक ड्राफ्ट सं0	दिनांक	वित्तीय वर्ष/योजना का नाम जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
1	2					7	8	9
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, हाजीपुर।	106.75	0.00	0.00	106.75	238858	08-02-2019	2016-2017
2.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, अररिया।	432.30	0.00	0.00	432.30	238855	08-02-2019	2011-2014
		219.66172	0.00	0.00	219.66172	238855	08-02-2019	2015-16
		64.30245	0.00	0.00	64.30245	238855	08-02-2019	2016-17
		150.00	0.00	0.00	150.00	238855	08-02-2019	2017-18
3.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–2, बखरी।	494.68	0.00	0.00	494.68	238856	08-02-2019	2016-2017
		250.00	0.00	0.00	250.00	238856	08-02-2019	2017-2018
		435.68359	97.90789	6.40852	540.00	238856	08-02-2019	2018-19
4	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, शिवहर।	76.46	9.92	0.62	87.00	238857	08-02-2019	2017-18
		299.77661	70.54886	4.67453	375.00	238857	08-02-2019	2018-19
कुल योग–		**2529.61437**	**178.37675**	**11.70305**	**2719.69417**			

शर्तेः–

(1) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है उसी वित्तीय वर्ष की स्वीकृत योजनाओ के कार्यान्वयन पर ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सगठन के उक्त सभी कार्य प्रमंडलो के कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(2) इस आवंटित राशि का व्यय पूर्व के वर्षो में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर नहीं करेंगे। यदि वर्ष 2011–12 से 13–14 तक के वित्तीय संपोषण हेतु प्राप्त राशि का व्यय वर्ष 2015–16 की योजनाओं पर किया गया है,तो उस राशि का समायोजन वर्ष 2015–16 की आवंटित राशि में से अवश्य कर लिया जाएगा।

(3) आवंटित राशि का विचलन करने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(4) वित्तीय वर्ष की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित संपूर्ण राशि का व्यय करते हुए सभी योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र BTC-27C एवं 27C1 ,में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6).उपर्युक्त विवरणी के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–2637 दिनांक–04.06.2015 के द्वारा निर्गत दिशानिदेश के अनुसार माननीय विधान मण्डल सदस्यों की अनुमान्यता के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे।

(7). उक्त आवंटन अभिकरण आदेश आदेश संख्या–45–46 दिनांक 04.02.2019 एवं 50–52 दिनांक 07.02.2019 के आलोक में किया जा रहा है। अतः व्यय उक्त आदेश के अनुरूप ही किया जाय।

(8).वित्तीय वर्ष 2015–16 की योजनाओं के कार्यन्वयन पर पूर्व वर्ष की राशि का व्यय करने की स्थिति में इसका समायोजन इन दोनों वित्तीय वर्षों के लिए राशि उपलब्ध होने पर उससे करना सुनिश्चित करेंगे।

(9). आवंटित की जा रही राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एक पक्ष के अदर उपलब्ध कराई जाय।

(10) राशि अव्यवह्त रहने पर उक्त राशि चेक के माध्यम से ब्लाडा को वापस करेगे।

(11) व्यय राशि का विधानमण्डल सदस्यवार प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक ब्लाडा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(12) उपलब्ध करायी गयी राशि का 75 प्रतिशत से कम उपयोगिता प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अगला आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(13) उक्त आवंटित राशि को नियमानुसार संबंधित कोषागार में ही जमा किया जाना है।

(14) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढतापूर्वक पालन करते हुए किया जाये।

11/2/19		11/02/19
(दीपक कुमार)	(सुधीर कुमार)	(प्रमोद कुमार वर्मा)
योजना सहायक	उप महाप्रबंधक–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी (वित्त)	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 / पटना, दिनांक–11 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1 एवं 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/19

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 / पटना, दिनांक– 11 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/ संबंधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11/02/19

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 / पटना, दिनांक– 11 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि–सचिव, के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/02/19

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 / पटना, दिनांक– 11 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11/02/19

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 68 / पटना, दिनांक– 11 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना/संबंधित सहायक, योजना शाखा, ब्लाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/श्री सुदामा कुमार,आई. टी. मैनेजर,योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/02/19

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी